# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—53/2011/223 आर.टी.एक्ट (2011/00022)

1. प्रकाश चन्द पुत्र स्वर्गीय रामकरण जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 273/2005

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

## निर्णय

दिनांकः—06.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 273/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता वादी रामकरण पुत्र मिट्ठू ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तीन तनकीयात कायम की गई वादी का वाद दिनांक 15.9.2008 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 273/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2008 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता स्वर्गीय श्री रामकरण के दिनांक 5.7.2007 एवं माता केलीदेवी की मृत्यु दिनांक 16.6.2009 को हो जाने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की कोई जानकारी नहीं हुई किंतु जब दिनांक 14.1.2011 को हल्का पटवारी ने प्रार्थी/अपीलांट को काश्त करने से मना किया तो प्रार्थी ने कहा कि यह जमीन तो मेरे पूर्वजों ने खरीद कर ली है तब प्रार्थी को बताया गया कि इसके संबंध में तो तुम्हारे खिलाफ वाद भी निर्णित हो गया है तो प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष जाकर वाद के संबंध में जानकारी की तो प्रार्थी को पता चला कि उनके पिताजी के फौत होने के पश्चात दिनांक 15.9.2008 को वाद भी निरस्त हो चुका है इसलिए प्रार्थी ने दिनांक 18.1.2011 को नकल हेतु आवेदन करवाया जो दिनांक 25.1.2011 को प्राप्त हुई तब प्रार्थी रूपए पैसों का इंतजाम कर अजमेर आया तथा यह अपील आज दिनांक को प्रस्तुत करवा रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

***अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।***

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादी/अपीलांट के पूर्वजों का विवादग्रस्त आराजी पर जरिए खरीद दिनांक 14.4.1959 से आज दिन तक बिना किसी हस्तक्षेप के लगातार एवं निर्बाध



Scanned with CamScanner

रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए विवादग्रस्त आराजी का अपीलांट व उसके पूर्वज खातेदार काश्तकार स्वतः ही हो चुके है किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय गलत तौर पर कर वादी के विरूद्ध करते हुए वादी का वाद निरस्त करने का निर्णय पारित किया है। विवादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से अर्थात दिनांक 14.4.1959 से लगातार आज दिन तक काबिज चला आ रहा है इस कारण से वादी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार जरिए विपरीत कब्जे के सिद्धांत के आधार पर भी हो चुका है किंतु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया। अपीलांट के पूर्वजों का वादग्रस्त आराजी पर अर्से दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसी आधार पर अपीलांट ने विपरीत कब्जे के सिद्धांत के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर पर उक्त आराजी को राजगामी संपत्ति घोषित करवाने हेतु प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को निर्देशित कर दिया जो कि स्पष्टतः अभिवचनों के विपरीत है। खातेदार धन्ना लाऔलाद फौत हो चुका है तथा उसकी पत्नी भी फौत हो चुकी है इस कारण से भी अपीलांट वादी उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हो चुके है क्योंकि खातेदारान द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 14.4.1959 को ही बेचान कर दिया था किंतु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी रामकरण का देहांत दिनांक 5.7.2007 को ही हो चुका था उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रामकरण के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 273/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2008 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खातेदार श्री धन्ना पुत्र उदा जाति ब्राहमण के कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है। वादी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर घोषणा कराने का कोई भी हक अधिकार नहीं रखने से दावा खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादी का दावा ग्राम बघेरा की वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 2278 रकबा 0–19 है0 भूमि बाबत खारिज किया जाता है। इस आशय का निर्णय पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट के पिता वादी रामकरण पुत्र मिट्ठू ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तीन तनकीयात कायम की गई वादी का वाद दिनांक 15.9.2008 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है व अपीलांट द्वारा अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

के माध्यम से कथन किया गया है कि वादी/अपीलांट के पूर्वजों का विवादग्रस्त आराजी पर जरिए खरीद दिनांक 14.4.1959 से आज दिनांक तक बिना किसी हस्तक्षेप के कब्जा काश्त है। अपीलांट के पूर्वजों का उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर अर्से दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसी आधार पर अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहने बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित तनकीयों का व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किए जाने के पश्चात यह पाया कि ग्राम बघेरा की राजस्व जमाबंदी 2058 प्रदर्श पी 1 खाता संख्या 433 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2278 रकबा 0–19 है0 भूमि श्री धन्ना पुत्र उदा जाति ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2024 से 2027 व जमाबंदी संवत 2041 में भी उक्त वादग्रस्त आराजीयात खातेदार श्री धन्ना पुत्र उदा के नाम दर्ज है। धन्ना ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात को दिनांक 14.4.1959 को एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा अपीलांट के पिता को बैचान की गई। इस बाबत ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 28.5.2003 भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसक अनुसार धन्ना व उसकी पत्नि का स्वर्गवास हो चुका है व उनके कोई संतान नहीं है अर्थात परिवार में कोई वारिस नहीं है। जब वादी ने दिनांक 14.4.1959 को भूमि जरिए अपंजीकृत दस्तावेज खरीद की गई थी तो वादी के द्वारा तत्समय उसको पंजीकृत क्यों नहीं करवाया गया जब मृतक धन्ना व उनकी पत्नि जीवित थे। अपीलांट द्वारा उनके मरने के पश्चात दिनांक 7.6.2005 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी उदघोषणा का वाद इतने समय बाद क्यों प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा अपने समर्थन में इसका कोई समुचित जवाब नहीं दिया गया। वादी द्वारा धन्ना व उसकी पत्नि के मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए। वादी ने उक्त आराजीयात बाबत ऐसा कोई दस्तावेजात भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादी का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का उक्त आराजीयात पर विपरीत कब्जा काश्त भी सिद्ध नहीं है क्यों कि वादी द्वारा कब्जा काश्त बाबत खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं। इससे यही स्पष्ट है कि वादी उक्त विवादित आराजीयात को हडपना चाहता है। चूंकि धन्ना व उसकी पत्नि नाऔलाद फौत हो गए थे व उक्त आराजीयात का उनके पश्चात कोई विधिक वारिस शेष नहीं है। वादी द्वारा मात्र अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहता है। जो बिना किसी सक्षम दस्तावेजों के दिया जाना उचित नहीं है क्यों कि अपंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणिकता शून्य है। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात का कोई विधिक वारिसान मौजूद नहीं है तो उक्त भूमि राजकीय भूमि होती है उस पर बिना किसी वैध दस्तावेजात के खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। चूंकि वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त भूमि धन्ना ने मेरे पास रहन रखी है, रहन रखने की समय सीमा तय होती है। अपंजीकृत तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष उक्त अपील के माध्यम से प्राप्त करने का हक अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय तनकीयों का स्पष्ट विवेचन किए जाने के पश्चात पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 273/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2008 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

06/05/2025
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर



Scanned with CamScanner